न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 16/2017 अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नीम्बाराम पुत्र दुर्गाराम 2. भंवराराम पुत्र दुर्गाराम 3. गोरधनराम पुत्र दुर्गाराम जाति सुथार, निवासी रतनुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. वालाराम पुत्र उत्तमाराम 2. मदनलाल पुत्र उत्तमाराम 3. राजेन्द्रकुमार पुत्र उत्तमाराम 4. ओमप्रकाश पुत्र उत्तमाराम 5. ढेलीदेवी पत्नी उत्तमाराम 6. पूनमाराम पुत्र पोकरराम 7. चम्पालाल पुत्र नथाराम 8. कानाराम पुत्र नथाराम 9. रामाराम पुत्र नथाराम 10. जबराराम पुत्र नथाराम 11. मुलाराम पुत्र नथाराम 12. इन्द्रीदेवी पत्नी नथाराम 13. चम्पादेवी पत्नी प्रेमाराम 14. खेताराम पुत्र प्रेमाराम जाति सुथार, निवासी रतनुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 15. चम्पादान पुत्र सतीदान 16. खेतदान पुत्र सतीदान 17. हरदान पुत्र जेठूदान जाति चारण, निवासी रतनुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 18. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.06.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा रतनुओं की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 719, 1313/719, 1312/719 रकबा 86.01, 86.01, 86.02 बीघा के आये हुए है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 719 के विभाजन से पृथक हुए है। वादीगण की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई। उक्त सेढा को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर चीणों के टुकड़े व तारबंदी करके अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादीगण के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना पुख्ता कब्जा करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा जब प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो इससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उस[illegible] करने की धमकियां दी गई। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी भी करवायी हुई है, जिसमें प्रतिवादीगण का अतिक्रमण होना बताया गया है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा भी [illegible] वादीगण की खातेदारी में से कब्जा हटाने से इंकार कर दिया गया है, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:31:39 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के खातेदारान् द्वारा पूर्व में वादीगण के साथ आपसी सहमति से अतिक्रमण हटा लिया जाने

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

पर उनके विरूद्ध चाही गई इस्तदुआ को विड्रो कर लिया गया। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से मौका एवं रेकर्ड के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के नक्शे के बिन्दू संख्या 3 पर बरंग लाल अनुसार हरदान पुत्र जेठूदान खसरा नम्बर 723 के खातेदार द्वारा लगभग 02.00 बीघा भूमि पर तथा इसी साईड में बरंग हरा अनुसार चम्पादान, खेतदान पुत्र सतीदान खसरा नम्बर 721 के खातेदार द्वारा लगभग 01.10 बीघा भूमि पर कब्जा होना पाया गया है।

वादी साक्ष्य में साक्ष्य स्वरूप वादी संख्या 1 द्वारा अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादीगण की ओर से स्वतंत्र गवाह कैलाशसिंह पुत्र इन्द्रसिंह द्वारा अपना बयान गवाह शपथ पत्र पेश किया गया।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को जब्त करते हुए कब्जा वादीगण को दिलवाने जाने का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के नक्शे के बिन्दू संख्या 3 पर बरंग लाल अनुसार खसरा नम्बर 723 के खातेदार द्वारा लगभग 02.00 बीघा भूमि पर तथा इसी साईड में बरंग हरा अनुसार खसरा नम्बर 721 के खातेदार द्वारा लगभग 01.10 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादी संख्या 1 तथा स्वतंत्र गवाह द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश कर वादीगण के खातेदारी खेत से प्रतिवादीगण का कब्जा व अतिक्रमण हटाने के लिए दावा पेश किया है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा रतनुओं की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 719, 1313/719, 1312/719 रकबा क्रमशः 86.01, 86.01, 86.02 बीघा में भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:51:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को [illegible] सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव